मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः01.05.2026

थाना अदलहाट पुलिस द्वारा 02 शातिर गो-तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, मौके से क्रूरता पूर्वक बांध कर वध हेतु ले जाए जा रहे 06 राशि गोवंश तथा घटना में प्रयुक्त पिक अप वाहन, 02 अदद अवैध चमंचा मय कारतूस बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना अदलहाट पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः01.05.2026 को थाना अदलहाट पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि क्रूरता पूर्वक बांध कर गोवंश को तस्करी हेतु चैनपुर बिहार ले जाया जा रहा है। थाना अदलहाट पुलिस टीम ग्राम हाजीपुर नहर पुलिया के पास अभियुक्तों के पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तो द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने लगे किन्तु थाना अदलहाट पुलिस टीम द्वारा सीमित जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें दो गो-तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम क्रमशः1. भोला हरिजन पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम विसौरा खुर्द थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर व 2. बाबू उर्फ रामजन्म सोनकर पुत्र मिठाईलाल सोनकर निवासी रामपुर ढबही थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर बताया जिनकी जमातलाशी ली गयी तो उनके पास से घटना में प्रयुक्त 02 अदद तमंचा (315 बोर),04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस,01 अदद पिक अप वाहन तथा 06 राशि गोवंश बरामद हुए। मुठभेड में गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगण को पुलिस अभिरक्षा लेकर में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। उक्त पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0 92/26 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा मौके से बरामद गो-तस्करी की घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्याः UP63BT1047 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. भोला हरिजन पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम विसौरा खुर्द थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. बाबू उर्फ रामजन्म सोनकर पुत्र मिठाईलाल सोनकर निवासी रामपुर ढबही थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर,उम्र करीब-22 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस तथा 06 राशि गोवंश
पिक अप वाहन (संख्या UP63BT1047)।

आपराधिक इतिहास—

अभियुक्त भोला हरिजन पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम विसौरा खुर्द थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

1. मु0अ0स0-3/22 धारा- 3,5ए, 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0-4/22 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।
3. मु0अ0सं0-332/23 धारा- 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।
4. मु0अ0सं0-970/16 धारा- 3,5,8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।
5. मु0अ0सं-14/25 धारा- 3,5ए, 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

अभियुक्त बाबू उर्फ रामजन्म सोनकर पुत्र मिठाईलाल सोनकर निवासी रामपुर ढबही थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

1. मु0अ0सं0-64/25 धारा- 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0स0-240/25 धारा- 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरी0 अजय कुमार सेठ -प्रभारी निरीक्षक थाना अदलहाट,मीरजापुर।
उ0नि0 विजय राय, अभय नारायण, अरुण,हरिनाथ थाना अदलहाट मीरजापुर।
मु0आरक्षी विजय, दारा, अजय, रविंद्र, बृजेंदर, अनिल, बृजेश व आरक्षी नवीन थाना अदलहाट मीरजापुर।

****